न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 38 / 2024 (उदयपुर आर्डर)

1. नाथू पिता किशना जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. तुलसीराम पिता किशना जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भगवतीलाल पिता धन्ना जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरीबाई पुत्री धन्ना जी पत्नी भगा जी डांगी, निवासी नान्दवेल (ओरडी), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रभूबाई पुत्री धन्ना जी पत्नी वक्ता जी डांगी, निवासी टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. नकाबाई पत्नी धन्ना जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोतीलाल पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. शान्तिलाल पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. रूपीबाई पत्नी गंगाराम जी डांगी, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
गिर्वा दि. 06.06.2024 प्र.सं. 341/24

———/———

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र चित्तौडा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रे.सं. 5 से 7
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि.रेस्पो.सं. 8

———::———

निर्णय **दिनांक 10–07–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित है, कुल किता 53 रकबा 7.7300 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम बिछडी में स्थित है, जिसका अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं बिना विधिवत विभाजन के विपक्षीगण प्रार्थीगण की रोड़ साईड भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं एवं लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 5 से 7 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है एवं पक्षकारान उसी अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06–06–2024 से प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में उनका विभाजन का मूलवाद विचाराधीन है, जिसमें विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाना है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। यदि मूलवाद के निस्तारण से पूर्व मौके व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा एवं अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2011-12 (Supp.) Page 462, RRT 2013 (2) Page 1119 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने से प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRD 14.11.2008 Page 762 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 विवादित आराजियात के सहखातेदार हैं तथा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत RRD 14.11.2008 Page 762 अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का विवेचन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन किया है एवं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/अपीलान्ट के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रकरण पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 06–06–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested